न्यायालय सहायक कलेक्टर , डीडवाना

पीठासीन अधिकारी– उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 52/2016 दायर दिनांक 04..04.2016

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोविन्दराम पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. हीराराम पुत्र हनुमानराम 2. बोदूराम पुत्र हनुमानराम 3. भूराराम पुत्र हनुमानराम 4. नारायण पुत्र हनुमानराम 5. नंदाराम पुत्र हनुमानराम 6. गिरधारीराम पुत्र हनुमानराम 7. मोहनी पत्नी हनुमानराम 8. हेमा पुत्री हनुमानराम समस्त जाति जाट निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 9. मेनेजर साहब सैन्टल बैक ऑफ इण्डिया शाखा मौलासर 10. मेनेजर साहब स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 11. श्रीमान उप–तहसीलदार साहब मौलासर तह. डीडवाना 12. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा घोषणा खातेदारी व बन्टवारा हस्ब

धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

उपस्थित–वादी की और से दुर्जाराम पुनियाँ उप.।

दिनांक– 21.12.2017

वादी की इस्तदुआ है कि मौजा मौलासर की शहरद मे खेत ख.न. 1225/459 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा स्थित है।नकल खतौनी सम्वत 2068–2071 पेश है।

उक्त खसरा नम्बर 1225/459 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद मौलासर स्थित है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 की सिरोली खातेदारी व कब्जा काश्त की पैत्रिक सम्पति है।

प्रतिवादी संख्या 08 हेमा विवाहिता लड.की है जो अपने ससूराल रहती है और उसने अपना हक को खेत मे से तर्क कर दिया है। वह इस खेत मे से अपना हिस्सा लेना नही चाहती है। उसके मायरे वगैराह सभी भाईयो ने मिलकर कर दिये है। तथा भविष्य मे जो भी खर्चा उसके लगाना होगा तो सब भाई बराबर लगायेगे। इसलिए प्रतिवादी संख्या 08 का नाम खातेदारी में गलत दर्ज हुआ है। उसका नाम खातेदारी से हटाया जाना आवश्यक है। इसलिए घोषणा खातेदारी का दावा पेश है कि उक्त खेत वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 की खातेदारी घोषित की जावे तथा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती फरमाई जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उक्त खेत में केवल वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 का ही हक व हिस्सा व कब्जा काश्त है। और सबने अपनी सुविधा की दृष्टि से उक्त खेत को बाहमी बन्टवारे से बांट कर अलग–अलग काश्त करते है। और अलग–अलग ही कब्जा काश्त है। परन्तु खेत बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से बन्टे हुए नही है। तथा इस खेत के कुछ हिस्से पर सब भाईयो की सिरोली ढाणी, पानी का हौद व कुआं तथा कुऐ की नाल बनी हुई है जो सब भाईयो की बन्टवारे के बाद सामलाती रहेगी। इसलिए यह बन्टवारा का दावा पेश करता है।

कि मौजा मौलासर की शहरद मे खेत ख.न. 1225/459 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के नाम घोषित की जावे।

कि मौजा मौलासर की शहरद मे खेत ख.न. 1225/459 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा का बन्टवारा माफिक नजरी नक्शा के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान् को जवाबदेही हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 24.11.2017 को प्रतिवादीगण 01 ता 12 बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षिये कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनाकं 07.12.2017 को वादी की और सें वादी स्वयं हीराराम के बयान कराये गये।

बहस अधिवक्ता सूनी गई।पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् सहखातेदार दर्ज है। भूमि के भौतिक विभाजन को लेकर पक्षकारान् के मध्य विवाद है। पक्षकारान् सहखातेदार होने आराजी भूमि में प्रत्येक खातेदार का हक एवं हिस्सा निहित है जिसका खुलासा बन्टवारा प्रस्ताव के द्वारा ही सम्भव है। अतः वाद वादी का प्राथमिक डिकरी किया जाकर विभाजन प्रस्ताव राजस्व कर्मियों से मंगवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:– **आदेश** –:

वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिकरी दी जाती है कि, सरहद मौजा मौलासर की शहरद मे खेत ख.न. 1225/459 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा का आराजी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के बीच वादी द्वारा पेश नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड व मौके पर कब्जा काश्त को मध्य नजर रखते हुए पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के, दो प्रतियों में तैयार कर, तहसीलदार डीडवाना, न्यायालय हाजा में पेश करें। इसी अनुरूप प्राथमिक डिकरी जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 21.12.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–52–2016 / रीडर / 2018 /   दिनांक

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः – प्राथमिक निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
बन्टवारा, घोषणा खातेदारी, व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा–53, 88

वदी		प्रतिवादीगण
1. गोविन्दराम पुत्र हनुमान राम जाति जाट निवासी मौलासर तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. हीराराम पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी मौलासर तहसील डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner